न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्या:790/2020 (जीसीएमएस नं. 2020/00601)

1. हनुमान सहाय पुत्र श्री लल्लूराम जाति माली, निवासि ग्राम कोटखावदा, तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटखावदा जिला जयपुर

—— रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक: 28.09.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.06.2015 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि विचारण न्यायालय तहसीलदार कोटखावदा जिला जयपुर की ओर से अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करने के लिऐ प्रकरण संख्या 66/2014 दर्ज कर अपीलार्थी को इस आशय के नोटिस जारी किये गये कि अपीलान्ट ने तहसील कोटखावदा के ग्राम कोटखावदा उत्तर के खसरा नम्बर 4212 गैर मु. रास्ता में 0.01 हैक्टयर पर अतिचार किया है जिस पर अपीलार्थी ने दिनांक 28.01.2015 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हाजिर होकर जवाब प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी ने खसरा नम्बर 4212 पर कब्जा नही किया है, अपीलार्थी अपनी भूमि खसरा नम्बर 4249 पर काबिज काश्त है, अपीलार्थी के पूर्वजों के समय से खाम मिट्टी की डोली बनी हुई है अपीलार्थी की उक्त दीवार आगे व पीछे की दीवारों से लगवा दीवार के सीधे है मौके पर आबादी बस चुकी है जिससे सही नाप संभव नही है वास्तविक मौका रिपोर्ट हेतु भू प्रबन्ध विभाग की ईडीएम मशीन से नाप करवाया जाना आवश्यक है, खसरा नम्बर 4212 गैर मु. रास्ता की नाप हेतु आस–पास के गैर. मु. चाह को आधार बनाकर नाप करवाने पर ही सही नाप आ सकेगी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के जवाब पर कोई गौर न करते हुए दिनांक 11.022015 को अपीलार्थी को अतिक्रमी मानते हुए अपीलार्थी को 1 माह के कारावास व पैनल्टी से दण्डित किया गया है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी ने तहसीलदार के उक्त आदेश दिनांक 11.02.2015 से व्यथित होकर प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की तथा अपने समर्थन में समस्त तथ्य भी प्रस्तुत किये गये किन्तु अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर द्वारा भी अपीलान्ट के तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विधान के विपरित होने से खारिज योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत करने पर प्रकरण का ऋजु

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

विचारण नही किया, वादग्रस्त खसरा नम्बर 4212 की मौका रिपोर्ट नही मंगवाई न नाप करवाई, न सरकार की ओर से किसी गवाह को परीक्षित करवया, अपीलार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का व सुनवाई का पूरा अवसर नही दिया जिस पर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी गौर नही किया इस कारण भी दोनो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटखावदा जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 11.02.2015 व प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर का अपीलाधीन निण्रय दिनांक 10.06.2015 को निरस्त करने की कृपा करें व प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटखावदा को रिमाण्ड कर प्रकरण की पुनः सुनवाई करने के आदश पारित करने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट ने ग्राम कोटखावदा के आराजी खसरा नम्बर 4212 में से 0.01 हैक्टयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर अतिक्रमण वं पुख्ता निमार्ण कर लिया है जो सरकारी भूमि है पूर्व में भी अपीलान्ट द्वारा निमार्ण किये जाने पर नोटिस दिया गया था उक्त निमार्ण को नही हटाया गया था जिससे अपीलान्ट का हौसला राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का बढ़ता जा रहा है राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का अतिक्रमी को कोई अधिकार नही है जिस पर से बेदखल करने का अधिकार तहसीलदार को है। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर के समक्ष स्वयं ने शपथ पत्र पेश कर कथन किया है कि वह जिस स्थान पर अतिक्रमण करने का जो आरोप लगाया है उस अतिक्रमण को स्वयं हटा लूँगा जिसके लिऐ मैं पाबन्द रहूँगा जिससे स्पष्ट हो जाता है कि अपलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.06.2015 में किसी प्रकार कानूनी गलती प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.06.2015 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।